प्रेस विज्ञप्ति

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 25 सितम्बर 2025 को महाविद्यालय के मूट कोर्ट हॉल में विधि विभाग के अन्तर्गत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसका विषय "Criminal Law Reforms In India: Retrospect & Prospect" पर था। इस अवसर पर **मुख्य अतिथि, डॉ अंजलि दीक्षित,** महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो0 बिपिन चन्द्र कौशिक जी, उप प्राचार्या प्रो0 नीरू टण्डन जी, विधि विभाग के प्रभारी प्रो0 आर0 के0 पाण्डेय आदि के द्वारा माँ सरस्वती के दीप प्रज्जवलन द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

अतिथियों का परिचय विधि विभाग के प्रभारी प्रो0 आर0 के0 पाण्डेय द्वारा दिया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में आयी हुयी **डॉ अंजलि दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर एस0आर0एम0 विश्वविद्यालय, सोनीपत** विधि विभाग द्वारा छात्र–छात्राओं को अपराधिक विषयों में सुधार के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। उन्होने इस सुधार के विषय में यह भी बताया कि इसका पूर्वव्यापी एवं भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्य अतिथि ने 1860 के लार्ड मैकाले के भारतीय दण्ड संहिता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कर वर्तमान में उसकी खामियों के विषय में बताया। उन्होने यह भी बताया कि अपराधिक न्याय व्यवस्था अति प्राचीन थी, जिसमें वर्तमान समय के अनुसार काफी परिवर्तन की आवश्यकता थी। अतः भारत सरकार ने अपराधिक विषयों में संशोधन कर नये अपराधिक विषयों को बनाया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। मुख्य अतिथि के व्याख्यान ने छात्र–छात्राओं का ज्ञान वर्धन किया और विधि विषय की महत्वता को बताया।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो0 बिपिन चन्द्र कौशिक द्वारा छात्र–छात्राओं को प्राकृतिक विधि एवं नैतिक विधि के विषय में जानकारी प्रदान कर वर्तमान आपराधिक विधि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

प्रो0 नीरू टण्डन द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंच का संचालन श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ स्वेता रानी द्वारा किया गया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रो0 राम बकस, श्री ए0के0 उपाध्याय, प्रो0 पी0एन0 त्रिवेदी, डॉ प्रीती सिंह, डॉ प्रतिमा चतुर्वेदी, श्रीमती प्रीती जायसवाल सहित समस्त शिक्षक एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

25-09-25